रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 4, 1989/भाद्र 13, 1911
No. 546] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 4, 1989/BHADRA 13, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1989

का.आ. 692 (अ) :—जबकि केन्द्रीय सरकार ने कांडला डॉक लेबर बोर्ड की सदस्यता से श्री जगबीर सिंह कालड़ा के त्यागपत्र देने के कारण उत्पन्न रिक्ति 9.8.1989 को अधिसूचित की,

और जबकि कांडला स्टेविडोर्स एसोसिएशन ने कांडला डॉक लेबर बोर्ड में डॉक वर्कर्स एवं शिपिंग कम्पनियों के नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री जगवीर सिंह कालड़ा के स्थान पर श्री एम जे मेहता को नामित किया है,

अत : अब केन्द्रीय सरकार गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियम) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियम) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5 क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री एम जे मेहता को उक्त मंडल का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का.आ. 358 (अ) दिनांक 15 मई, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "डॉक वर्कर्स और शिपिंग कम्पनियों के नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य" शीर्षक के अन्तर्गत मद सं. 2 के लिए निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाए :—

"2. श्री एम जे मेहता"।

[फा.सं. एल बी-13014/7/89-यू एल (एल)]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, 4th September, 1989

S.O. 692 (E).—Whereas the Central Government notified a vacancy on 9-8-1989 caused by the resignation of Shri Jagveer Singh Kalra from the membership of Kandla Dock Labour Board;

And whereas the Kandla Stevedores' Association has nominated Shri M. J. Mehta to represent the Employers of Dock Workers & Shipping Companies on the Kandla Dock Labour Board in place of Shri Jagveer Singh Kalra;

Now, therefore, in exercise of the Powers conferred by sub-section (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) read with rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints Shri M. J. Mehta as a Member of the said Board and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Transport Wing) No. S.O. 358 (E), dated the 15th May, 1989, namely :—

In the said notification, under the heading "Members representing the Employers of Dock Workers and Shipping Companies", for item No. 2 the following item shall be substituted :—

"2. Shri M. J. Mehta".

[F. No. LB-13014|7|89-US (L)]
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989